

कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक-2, तृतीय तल
इंद्रावती भवन, अटल नगर

क्रमांक- 10723/खाद्य-संचा/2020
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 18/3/2020

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- जिले में आवश्यक वस्तु (मास्क एवं सेनिटाईजर) की उपलब्धता एवं बाजार मूल्य की मॉनिटरिंग करने के संबंध में।
संदर्भ:- भारत सरकार, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक T-10/7/2020-PMC दिनांक 17 मार्च 2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, (छायाप्रति संलग्न)। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग के अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2020 द्वारा मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की राज्य में उपलब्धता एवं बाजार मूल्य की नियमित निगरानी की जा रही है। उपरोक्त संबंध में जिले में निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे :-

1. जिले में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाईजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर जैसे - लाईजॉल, लिक्विड शोप/हैण्डवाश उपलब्धता एवं बाजार मूल्य की नियमित मॉनिटरिंग किया जावे।
2. जिले में व्यापारी संघ का बैठक लेकर उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं स्टॉक की समीक्षा किया जावे।
3. उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-14/2020/17 दिनांक 18.03.2020 द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं कार्यवाही किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)

आयुक्त

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, अटल नगर

पृ. क्रमांक-10724/खाद्य-संचा/2020
प्रतिलिपि-

अटल नगर, दिनांक 18/3/2020

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।


आयुक्त

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, अटल नगर